निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 13/2021 (रसद अपील)

बसराम गुर्जर पुत्र श्री भौरी लाल गुर्जर निवासी गढ, तहसील बस्सी, प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत गढ, उपखण्ड बस्सी (पोश मशीन नम्बर 14135 जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 08.04.2021 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 386/2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत गढ उपखण्ड बस्सी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये ।

उपस्थित :–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.10.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी बसराम गुर्जर प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गढ उपखण्ड बस्सी (पोश मशीन नम्बर 14135) जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 08.04.2021 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत गढ उपखण्ड बस्सी (पोश मशीन नम्बर 14135) जिला जयपुर का प्राधिकार धारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 199/96 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन

कलक्टर
जयपुर

के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 29.08.2019 को अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर के अनुसार विभिन्न योजनाओं के गेहूं का स्टॉक इस प्रकार था–एनएफएसएल गेहूं 3115.200 किलोग्राम, बीपीएल 55 किलोग्राम, ए ए वाई 140 किलोग्राम उक्त समस्त गेहूं 3310.200 किलोग्राम में से 1010 किलो का वितरण होने के बाद स्टॉक में 2300.200 किलोग्राम शेष था जो कि 46 कट्टों में था। श्री कल्याण सहाय करौल प्रवर्तन निरीक्षक ने अवैद्य मनमानी व बदनियतिपूर्ण भावना से दिनांक 29.08.2019 को अपीलार्थी की उक्त दुकान पर अपीलार्थी द्वारा विभिन्न योजनाओं के संधारित किये गये स्टॉक रजिस्टरों का अवलोकन किया तथा स्टॉक रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किये। अपीलार्थी की उचित मूलय दुकान पर किसी प्रकार की ना तो कोई अनियमितता पाई गई और ना ही अपीलार्थी के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत थी। दिनांक 02.09.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट अपीलार्थी के विरूद्व अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 06.09.2019 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर दिनांक 06.09.2019 को अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें 5 अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। दिनांक 17.09.2019 को अपीलार्थी द्वारा उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया तथा मूल्य व स्टॉक सूची व स्टॉक रजिस्टरों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। दिनांक 17.09.2019 को अपीलार्थी के जवाब प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 14.10.2019 को जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन अधिकारी से समीक्षात्मक टिप्पणी चाही। दिनांक 24.07.2020 के आदेश के द्वारा जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश पारित किया। दिनांक 08.04.2021 को जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय का आदेश व निर्णय दिनांक 08.4.2021 विधि के विरूद्व तथ्यों के विपरीत तथा अपीलार्थी के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। प्रतर्वन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2019 को की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से अवैद्य व मनमानी है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रोफार्मा में निरीक्षण प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया जो कि अवैद्य है। निरीक्षणकर्ता को फर्द मौका बनानी चाहिये थी। प्रवर्तन अधिकारी ने निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण का समय अंकित नहीं किया जो कि खाद्य विभाग के आदेश व निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षणकर्ता ने निरीक्षण की कार्यवाही आदेश 1976 के खण्ड 24 के अनुसार नहीं की–(अ) खण्ड 24 (1) (घ) के तहत न तो परिसर से प्राप्त खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थो का भार या माप लिया और न ही किसी से लिवाया। (ब) निरीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि गेहूं कट्टे में था या बोरियों में था और कितने कट्टे शेष थे। निरीक्षण प्रतिवेदन में गेहूं की तौल व माप करना भी नहीं बताया (स) आदेश 1976 के खण्ड 4 की पालना नहीं की गई निरीक्षणकर्ता ने निरीक्षण के समय 2 स्वतंत्र व मौतबीर गवाहों को नहीं बुलाया। निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षणकर्ता ने खाली जगहों को मनमाने तरीके से अपीलार्थी के विरूद्व झूंठा मुकदमा बनाने की नीयत से भर लिया। जिला रसद अधिकारी को प्रवर्तन अधिकारी से समीक्षात्मक टिप्पणी मांगने का कोई अधिकार नही था। अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला अधिकारी ने ना तो निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति दी और ना ही समीक्षात्मक टिप्पणी की प्रति दी तथा बिना प्रवर्तन अधिकारी को परीक्षण किये और अपीलार्थी को उक्त प्रवर्तन अधिकारी से प्रतिपरीक्षण का मौका दिये निरीक्षण प्रतिवेदन को साक्ष्य मान कर जो निर्णय पारित किया है वह

कलक्टर
जयपुर

पूर्ण रूप से अवैद्य होने से निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर व उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात को ना तो विवेचित किया और ना ही अपीलार्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में उठाये गये बिन्दुओं को गलत मानने का कोई आधर ही बतलाया । जिला रसद अधिकारी ने प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और निर्णय में निरीक्षण प्रतिवेदन, जबाब व समीक्षात्मक टिप्पणी को ज्यों की त्यों लिख कर अपीलार्थी को दोषी मानने में भारी भूल की है। जबकि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी को मामले में सम्पूर्ण जांच करनी चाहिये थी, जो नही की गई । अपीलार्थी ने अपने प्रत्युत्तर नोटिस एवं लिखित अभ्यावेदन में समस्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पेश किये है तथा गेहूं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि उसकी दुकान में गेहूं का प्रारम्भिक स्टॉक में 3300 किलो गेहूं था, जिसमें से 1000 किलोग्राम गेहूं वितरण होने के बाद स्टॉक में 2300 किलोग्राम गेहूं शेष था, जो 46 कट्टों में था। दुकान में गेहूं का स्टॉक में कोई वैरियेशन नहीं था। निरीक्षणकर्ता ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में ना तो पोस मशीन के स्टॉक व बिक्री को देखा ओर न कोई डिटेल अंकित की । अपीलार्थी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराने के बाद भौतिक सत्यापन पर खाद्य सुरक्षा योजना का 400 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया । इबारत बाद में जोडी गई तथा भौतिक सत्यापन में भी स्टॉक गलत लिखा गया । भौतिक सत्यापन का अर्थ क्या है यह न तो प्रवर्तन अधिकारी ने अपने निरीक्षण प्रतिवदेन में अंकित किया और ना ही जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित किया। बिना स्वतंत्र और मौतबीर गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन पूर्णरूप से अवैद्य है और कानून में इसकी कोई मान्यता नहीं है जबकि खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं की निरीक्षण के समय तोल करवाई जायेगी, ऐसी तौल की तकपट्टी न तो प्रवर्तन अधिकारी ने मौके पर बनाई और न ही वस्तुओं का तोल किया । यंहा तक कि कट्टों की गिनती भी नही की गई। अपीलार्थी के विरुद्व किसी प्रकार की शिकायत नही थी। निरीक्षणकर्ता ने पोस मशीन से गेहूं की बिक्री की डिटेल नहीं निकाली। अपीलार्थी द्वारा सही वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किये गये है जिन पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रवर्तन अधिकारी ने जो समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश की है उसमें किसी भी स्वतंत्र गवाह से निरीक्षण की कार्यवाही के संबंध में पूछताछ नही की गई तथा निरीक्षण प्रतिवेदन को ज्यो की त्यो पुनः लिख दिया, जिसकी प्रति भी अपीलार्थी को नही दी गई। निरीक्षणकर्ता द्वारा मूल्य व स्टॉक सूची ना तो असल जब्त की ना उसकी फोटो ली जिससे मूल्य व स्टॉक सूची के सम्बन्ध में कोई अपराध नहीं बनता है। जबकि अपीलार्थी ने मूल्य सूची की फोटो कापी प्रस्तुत की। नोटिस में वर्णित सम्पूर्ण आरोप यद्यपि टैक्निकल है लेकिन किसी भी प्रकार से सिद्व नहीं है। अपीलार्थी निर्दोष है और उसके विरुद्व जो निर्णय जिला रसद अधिकारी ने पारित किया है वह अवैद्य होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2021 अपास्त किया जावे। तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल करने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की निरीक्षण के समय उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक, मूल्य वितरण की मात्रा, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा शिकायत हेतु निर्धारित टेलीफोन नम्बरों का प्रदर्शन नहीं पाया गया । इसके अतिरिक्त वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन करने पर खाद्य सुरक्षा का 400 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया जो गबन/दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। साथ ही

कलक्टर
जयपुर

सपठित कन्ट्रोल आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिससे अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत गढ पंचायत समिति बस्सी का प्रवर्तन अधिकारी बस्सी श्री कल्याण सहाय करोल द्वारा दिनांक 29.08.2019 को निरक्षण किये जाने पर (1) दुकान पर स्टॉक मूल्य तथा वितरण की मात्रा का प्रदर्शन नहीं करने, (2) दुकान खुलने बन्द होने के समय व अवकाश का दिन प्रदर्शित नहीं करने, (3) शिकायत हेतु निर्धारित टेलीफोन नम्बर्स का प्रदर्शन नहीं करने, (4) खाद्य सुरक्षा योजना में चयिनत परिवारों की सूचना दुकान पर नहीं पाई जाने एवं (5) भौतिक सत्यापन पर खाद्य सुरक्षा का 400 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने का आरोप है। अपीलार्थी ने सूचना पट्ट दिनांक 29.08.2019 की फोटो पेश की है जिसमें प्राधिकार धारक का नाम, प्राधिकार संख्या, उचित मूल्य खुलने का समय प्रातः 9 बजे से शांय 5 बजे, लन्च 1 से 2 तक, उपभोक्ता समय 16 तारीख से 30–31 तारीख तक एवं खाद्यान्न वस्तु का नाम, मात्रा, दर व प्रारम्भिक स्टॉक तथा जिला रसद अधिकारी एवं जिला कलक्टर के नम्बर प्रदर्शित किये हुये है। प्रत्यर्थी के विभागीय पैरोकार ने इस बाबत कोई संतोषजनक खण्डन नहीं किया हे। जिससे आरोप संख्या 1 लगायत 4 की पुष्टि नहीं होती है। आरोप संख्या 5 में 400 किलोग्राम गेहूं कम होना बताया है, किन्तु गेहूं के लिए किसी प्रकार की माप तौल किये जाने का हवाला नहीं है और ना ही निरीक्षणकर्ता द्वारा तत्सम्बन्धी पट्टी तैयार की गई है। यहां तक कि गेहूं के कितने कट्टे मौजूद थे इस का भी फर्द में कोई उल्लेख नही किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन में केवल उचित मूल्य दुकानदार व निरीक्षणकर्ता के ही हस्ताक्षर है। दो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार प्रारम्भिक स्टॉक की माप विधिवत नहीं की गई और पूरा नाप नहीं किया गया है। निरीक्षणकर्ता द्वारा माप तौल की तत्सम्बन्धी पट्टी नहीं बनाई गई जिससे यह पता चले कि किस प्रकार 4 क्विंटल गेहूं कम है। प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षण अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर कार्यवाही की गई है जो उचित प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 08.04.2021 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि तत्काल बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. निरीक्षण अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के लिए जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय निसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

18/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर